8. Jharodakalan

9. Cole Market

10. 3 KVs of Jammu (K.V. No. 1,2 & 3 (Damanna)

11. Kankarbagh, Patna

12. Muzaffarpur

13. AGCR Colony, New Delhi

14. NOIDA

15. Bhopal

16. Bairagarh

17. No. 1,2 & 3 Colaba, Bombay

18. Gomatinagar, Lucknow

Total = 22 Kendriya Vidyalayas.

Report of the Committee appointed to look into the poor performance of Government Schools

2884. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to UnStarred Quetin 941 given in the Rajya Sabha on 17the July, 1992 and state:

(a) whether the Committee appointed by the Delhi Adminstration to analyse the poor performance of Government schools has since submitted its report;

(b) if so, what arc its salient features and recommendations of the committee; and

(c) what followe-up action has been taken or proposed to be taken to improve the performance of the Government schools in Delhi?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आंगनवाड़ियों का कार्यकरण

2885. **श्री राम नरेश यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितनी आंगनवाड़ियां हैं, इनमें कार्यरत सेविकाओं को कितना वेतन दिया जाता है;

(ख) क्या उक्त वेतनमान को संशोधित किये जाने की संभावना है; और

(ग) आंगनवाड़ियों के कार्यकरण को और चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही आंगनवाड़ियों की संख्या क्रमशः 3042 और 2575 है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायिकाएं जो कि स्वयंसेवी कार्यकर्त्ता हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में निम्नलिखित दरों पर मानदेय प्राप्त करने की हकदार हैं:—

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता

1. नॉन मैट्रिकुलेट	350 रु० प्रति मास
2. नॉन मैट्रिकुलेट जिन्होंने 5 वर्ष तक अवैतनिक कार्य किया हो	375 रु० प्रति मास
3. नॉन मैट्रिकुलेट जिन्होंने 10 वर्ष तक अवैतनिक कार्य किया हो	400 रु० प्रति मास
4. मैट्रिकुलेट	400 रु० प्रति मास
5. मैट्रिकुलेट जिन्होंने 5 वर्ष तक अवैतनिक कार्य किया हो	425 रु० प्रति मास
6. मैट्रिकुलेट जिन्होंने 10 वर्ष तक अवैतनिक कार्य किया हो	450 रु० प्रति मास
सहायिकाएं	200 रु० प्रति मास

(ख) मानदेय की दरों में हाल में किए गए संशोधन के पश्चात् आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं की मानदेय दरें 2 अक्तूबर, 1992 से उपरोक्तानुसार प्रभावी हैं।

(ग) आई सी डी एस के विभिन्न घटकों अर्थात् पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा और कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के प्रबोधन के लिए विभाग में एक कम्प्यूटरीकृत एम आई एस कार्य कर रहा है। आई सी डी एस के केन्द्रीय तकनीकी समिति लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के स्वास्थ्य और पोषाहारीय दर्जे का प्रबोधन करती है। इसमें जो भी

कठिनाईयां सामने आती हैं, उन्हें राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जाता है। इसके अलावा इस विभाग ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास संबंधी सेवाओं के संकेन्द्रण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों ने विभिन्न सेवाओं का संकेन्द्रण आंगनवाड़ी केन्द्रों में किए जाने के लिए राज्य सरकारों में स्थित अपने प्रतिरूपी विभागों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश में 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' की प्रगति

2886. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम' को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी; और

(घ) पिछले वर्ष के लक्ष्य को कितना पूरा किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) अभी तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आने वाले 65388 स्कूलों में आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तीन चरणों को संस्वीकृति दी गई है। इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति निम्नवत् है:—

(i) उपस्कर:

मुक्त की गई राशि	प्रयुक्त की गई राशि
49,56,22,000 रुपए	43,06,93,000 रुपए (86.90%)

(ii) शिक्षक: नियुक्त किए गए शिक्षकों की संख्या

7224	7224 (100%)

(iii) निर्माण:

उन कक्षा-कक्षों की सं॰ जिनके निर्माण की जरूरत है।	निर्मित कक्षा-कक्षों की सं॰
22300	20140 (90.31%)

ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षण

2887. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए इंजीनियरी और मेडिकल कालेजों में कुछ सीटें आरक्षित कर देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर के समीप वेधशाला की खोज

2888. **डा॰ बापू कालदाते:**
कुमारी सोरज खापर्डे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जयपुर के समीप 15वीं शताब्दी की वेधशाला के अवशेष मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समूचे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उप मंत्री) (कुमारी शैलजा):

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति

2889. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक नीति बनाने के लिए कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम